कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी,बागेश्वर।

पत्रांकः–एन0सी0डी0 / 2022–23 / 760-67 दिनांक 04–05–2022

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक
जनपद बागेश्वर।

विषयः–एन0टी0सी0पी0 कार्यकम के अन्तर्गत तम्बाकू निषेध दिवस से 01 वर्ष पूर्व 1 मई से 31 मई, 2022 तक की अवधि में विशेष अभियान संचालित किये जाने हेतु आवश्यक सहयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालय मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः–यू0के0एच0एफ0डब्लू0एस0 /एन0एच0एम0 /एन0सी0डी0 / 2016 / एन0टी0सी0पी0 / 309 के कम में दिनांक 30–04–2022 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में प्राप्त निर्देशों के कम में जनपद में तम्बाकू निषेध दिवस से 01 वर्ष पूर्व 1 मई से 31 मई, 2022 तक की अवधि में विशेष अभियान संचालित किया जाना है जिसमें विभिन्न गतिविधिया आयोजित की जानी हैं:–

- जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पूरे मई माह में कोटपा एक्ट ,2003 की धारा–4(सार्वजनिक स्थानें में धूम्रपान पर निषेध) ,धारा–5 (तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिषेध) तथा धारा–6 क (अठारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद खरीदने व बेचने पर प्रतिषेध) तथा धारा–6 ख (विद्यालय की 100 गज की परिधि पर तम्बाकू उत्पादों की बिकी पर प्रतिषेध) में चालान किया जाना है।
- चालान गतिविधि हेतु चालान बुक जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं।
- सर्वाधिक चालान करने वाले चौकी/थाने को दिनांक 31 मई 2022 को हाने वाले जनपद स्तरीय कार्यकम में सम्मानित किया जाएगा।
- सभी थानों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना है जिस हेतु गमिंग स्टीकर जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ बागेश्वर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- उक्त गतिविधियों को आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक सहयोग तथा गमिंग स्टीकर एवं चालान बुक उपलब्ध कराने हेतु श्री जय जोशी सामाजिक कार्यकर्ता मो0 9557089117 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- उक्त गतिविधियों की फोटाग्राफ व प्रतिदीन की सूचना कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी की मेंल cmobageshwar2@gmail.com तथा व्हाटस ऐप पर 9557089117 इस नम्बर पर की जानी है।

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई 2022 पर तम्बाकू उत्पादों के उपयोग पर आधारित थीम **Threat to our environment** का सार्थक बनाने के लिए आओ गॉव चलें एक पहल के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक के दो गॉवों को तम्बाकू मुक्त किया जाना है।

- स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सी0एच0ओ0 द्वारा अपने हैल्थ एवं वैलनेस सेन्टरों में तथा स्कूलों में तम्बाकू से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों तथा कोटपा एक्ट 2003 के विषय में संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं।
- नगरीय क्षेत्रों में कूड़ा वाहनों तथा दूध की गाड़ियों में तम्बाकू स स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों से सम्बन्धित जींगल को चलाया जाना है।

अतः आप उपरोक्त अभियान के दृष्टिगत आपके विभाग से सम्वन्धित ार्यवाही किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को तथा थाना प्रभारियों ो अधिक से अधिक संख्या में चालान प्रकिया करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करेंगे।

मुख्य चिकित्साधिकारी
बागेश्वर

ांकः–एन0सी0डी0 / 2022–23 /   तददिनांकित।

ालिपिः– 1–जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ।
2–अपर मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला नोडल अधिकारी,एन0सी0डी0 बागेश्वर को सूचनार्थ।
3–राज्य नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
4–समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामु0स्वा0 केन्द्र बैजनाथ,कपकोट।
5–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बागेश्वर को सूचनार्थ। ।
6–चिकित्सा अधीक्षक सामु0स्वा0 केन्द्र काण्डा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7–समस्त सी0एच0ओ0 विकासखण्ड बागेश्वर,बैजनाथ व कपकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य चिकित्साधिकारी
बागेश्वर